2021-22

बारहवीं (12वीं) बोर्ड बैठक (कार्यवृत्त)

जिला स्तरीय विकास ऊधमसिंह नगर

तिथि व समय – 16.11.2021 पूर्वान्ह 11:00 बजे

स्थान –उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रूद्रपुर (अलकनन्दा कॉन्फ्रेंस हॉल)

दूरभाष – 05944–250152

ई–मेल –"udausnagar@gmail.com"

आज दिनांक 16 नवम्बर, 2021 दिन मंगलवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर की बारहवीं बोर्ड बैठक उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रूद्रपुर (अलकनन्दा कॉन्फ्रेंस हॉल)में भौतिक रूप सेसम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1. श्री सुशील कुमार, आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल –अध्यक्ष
2. श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,उ0सिं0नगर (प्रतिनिधि सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून) –सदस्य(पदेन)
3. श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उ0सिं0नगर –उपाध्यक्ष
4. श्री विशाल मिश्रा, नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर। –सदस्य(पदेन)
5. श्री विवेक राय, नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर। –सदस्य(पदेन)
6. डॉ0 पंकज कुमार शुक्ल, मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर। –सदस्य(पदेन) (प्रतिनिधि सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून)
7. श्री नरेश दुर्गापाल, प्रभारी अधिकारी, कलैक्ट्रेट ऊधमसिंह नगर –सदस्य(पदेन)
8. श्रीमती मृदुला सिंह, अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, ऊधमसिंह नगर। –सदस्य(पदेन)
9. श्री हरिशंकर सिंह बिष्ट, सहयुक्त नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून (प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड)। –सदस्य(पदेन)

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थितिः–

1. श्री एन0एस0 नबियाल, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर।
2. श्री विजय कुमार माथुर, अधिशासी अभियंता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर।
3. श्री हेमन्त सिंह रावत, अवर अभियंता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्राधिकरण की बारहवीं बोर्ड बैठक प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तावित बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं को कमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेन्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

मद संख्या–12.01

बारहवीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की ग्यारवीं बोर्ड बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2021 की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र संख्या–567 दिनांक–26 जुलाई, 2021 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुई है। अतः ग्यारवीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही :–सर्वसम्मति से विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

मद संख्या–12.02

बारहवीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की ग्यारवीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या अनुलग्नक–1 पर संलग्न है।

कार्यवाहीः–जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की ग्यारवीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

मद संख्या– 12.03

"राज्य सरकार द्वारा निर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित)के अध्याय –7 के बिन्दु संख्या–7.14(II) एव (III) मे फिलिंग स्टेशन से सम्बंधित मानकों मे संशोधन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–1647/V-2/2020-21(LUC)/2003 T.C दिनांक–05.10.2020–21" के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

सचिव उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून की अधिसूचना संख्या–1647/V-2/2020-21(LUC)/2003 T.C दिनांक–05.10.2020–21 (अनुलग्नक–2) को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अपने बोर्ड से स्वीकृत कराते हुए अंगीकृत करेंगे। यदि किसी प्राधिकरण को स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उपविधि मे किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन की आवश्कता हो, तो ऐसी स्थिति मे सम्बंधित प्राधिकरण तद्विषयक संशोधन के प्रस्ताव पर औचित्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे। अधिसूचना निम्नवत् है :–

7.14 फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन–यथा पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG आदि

(II) भू–खण्ड की स्थिति एवं अपेक्षायें –

स्तम्भ–1				स्तम्भ–2				
वर्तमान प्राविधान				नवीन प्राविधान				
						पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र	
क्र0 सं0		मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत / पर्वतीय क्षेत्र में	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा से बाहर				नगर निकाय सीमा अंतर्गत/ राष्ट्रीय राजमार्ग का वह क्षेत्र, जिसमें 20,000 से अधिक आबादी अवस्थित है	नगर निकाय सीमा के बाहर
1.	पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौडाई	18.0 मी0	30.0 मी0	1– पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौडाई का निर्धारण निम्नानुसार होगा। (अ) महायोजना में प्रस्तावित न्यूनतम मार्गाधिकार (ROW) तथा		12.0 मी0	18.0 मी0	30.0 मी0
	–	–	–	(ब) मार्गाधिकार की विद्यमान न्यूनतम चौडाई*		9.0 मी0	12.0 मी0	15.0 मी0
	राष्ट्रीय व प्रातीय राजमार्ग पर स्थित फिलिंग स्टेशन में मार्ग मध्य से भू–खण्ड की स्थिति	30.0 मी0	30.0 मी0	राष्ट्रीय व प्रांतीय राजमार्ग पर स्थित फिलिंग स्टेशन में मार्ग मध्य से भू–खण्ड की स्थिति	राष्ट्रीय राजमार्ग/ प्रान्तीय राजमार्ग	मार्गाधिकार से संबधित विभाग की अनापत्ति अनुसार अथवा महायोजना होने पर महायोजना अनुसार, जो भी अधिक	15.0 मी0 अथवा महायोजना मे प्रस्तावित अनुसार अथवा NH/PWD/ मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग से प्राप्त अनापत्ति अनुसार, जो भी	20.0 मी0 अथवा महायोजना में प्रस्तावित अनुसार अथवा NH/PWD/ मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग से प्राप्त अनापत्ति अनुसार, जो भी

C

				मार्ग मध्य से अपेक्षित मार्गाधिकार (जिसे मार्गाधिकार हेतु छोड़ने उपरान्त भू–खण्ड सीमा का निर्धारण होगा)		हो।	अधिक हो।	अधिक हो।
	–	–	–		अन्य मार्ग	महायोजना होने पर महायोजना अनुसार अथवा 6.00 मी0 अथवा PWD/ मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति अनुसार, जो भी अधिक हो	महायोजना मे प्रस्तावित अनुसार अथवा 9 मीटर अथवा PWD/ मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग से प्राप्त अनापत्ति अनुसार, जो भी अधिक हो।	15.0 मी0 अथवा महायोजना मे प्रस्तावित अनुसार अथवा PWD/ मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग से प्राप्त अनापत्ति अनुसार, जो भी अधिक हो।

*महायोजना प्रभावी न होने की दशा में मार्गाधिकार की विद्यमान न्यूनतम चौड़ाई का प्राविधान ही प्रभावी होगा तथा जहाँ महायोजना प्रभावी है, वहाँ पर "अ" व "ब" दोनों मानक पूर्ण होने चाहिए।

स्तम्भ–1				स्तम्भ–2			
पूर्व प्राविधान				नवीन प्राविधान			
		मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत /पर्वतीय क्षेत्र में	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा से बाहर		पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र: नगर निकाय सीमा अंतर्गत / राष्ट्रीय राजमार्ग का वह क्षेत्र, जिसमें 20,000 से अधिक आबादी अवस्थित हो	मैदानी क्षेत्र: नगर निकाय सीमा के बाहर
2.	मार्ग के एक ओर दो फिलिंग स्टेशन की परस्पर दूरी मैदानी क्षेत्र मे नगर निकाय सीमान्तर्गत / पर्वतीय क्षेत्र में 300.0 मी0 तथा प्रश्नगत तालिका के बिन्दु–3 में वर्णित क्रासिंग / टी–जंक्शन का आशय उपविधि मे प्रस्तर 7.15 "किसान सेवा केन्द्र मे निम्नानुसार वर्णित अनुसार होगा। क्रासिग / टी– जक्शन का आशय मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र मे क्रमशः 9.0 मी0 व 6.0 मी0 तथा इससे अधिक चौडे मार्ग के मिलान बिन्दु से ही परिभाषित होगा।"	300.0 मी0	1.00 किलो मीटर	Divided मार्ग के एक ओर दो फिलिंग स्टेशन के मध्य की परस्पर दूरी तथा undivided मार्ग के दोनों ओर आमने– सामने फिलिंग स्टेशन की मार्ग लम्बाई के साथ–साथ की दूरी।	300.0 मी0	300.0 मी0	1000.0 मी0
3	मार्गो के क्रासिंग / टी–जक्शन से फिलिंग स्टेशन का प्रवेश व निकास की न्यूनतम दूरी	60.0 मी0	60.0 मी0	मार्गो के क्रॉसिग / टी–** जंक्शन / इटरसेक्शन / मीडियन गैप से फिलिंग स्टेशन के प्रवेश / निकास की न्यूनतम दूरी। Divided मार्ग पर ऐसे टी–जक्शन / इटर सेक्शन, जो प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन के समक्ष स्थित मीडियन के दूसरी ओर स्थित हो, जिससे ट्रैफिक	60.0 मी0	100.0 मी0	राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रान्तीय राजमार्ग – 300.0 मी0 मुख्य जनपदीय मार्ग अथवा महायोजना मे प्रस्तावित चौडाई / विद्यमान चौडाई न्यूनतम 15.0 मी0 हो – 240.0 मी0

				conflict न हो, इस प्रकार के टी–जक्शन / इटरसेक्शन का प्रभाव प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन पर न होने के दृष्टिगत ऐसे जंक्शन का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।			अन्य जनपदीय मार्ग अथवा महायोजना मे प्रस्तावित चौडाई / विद्यमान चौडाई न्यूनतम 12.0 मी0 हो– 200.0 मी0

**क्रासिंग / टी–जंक्शन का आशय मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में क्रमशः 9.0 मी0 व 6.0 मी0 तथा इससे अधिक चौड़े मार्ग के मिलान बिन्दु से ही परिभाषित होगा।

7.14 फिलिंग स्टेशन / फिलिंग कम सर्विस स्टेशन–यथा पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG आदि

(III) भूखण्ड का आकार

स्तम्भ–1					स्तम्भ–2			
पूर्व प्राविधान					नवीन प्राविधान			
क्र0 सं0		मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा से बाहर	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत / पर्वतीय क्षेत्र में	एफ0 ए0 आर0	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा से बाहर	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत / राष्ट्रीय राजमार्ग का वह क्षेत्र, जिसमें 20,000 से अधिक आबादी अवस्थित है	पर्वतीय क्षेत्र में	एफ0ए0 आर0
1.	फिलिंग स्टेशन	35.0 X 35.0 वर्गमीटर	20.0X 20.0 वर्गमीटर	0.05	35.0 X 35.0 वर्गमीटर	30.0 X 30.0 वर्गमीटर (राष्ट्रीय राजमार्ग पर) शेष पर 20.0 X 20.0 वर्गमीटर	20.0 X 20.0 वर्गमीटर	0.05

नवीन प्राविधानः

(1) नवीन प्राविधानः (मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांकः– 18 जनवरी, 2019 OA NO. 86 / 2019 एवं आदेश दिनांकः 27–07–2020 एवं 09–10–2020 OA NO. 61 of 2019) फिलिंग स्टेशन की स्थिति निम्नानुसार सुनिश्चित की जायेगी :–

(i) नदी, नाले, जलाशय, भूगर्भीय स्रोत, स्प्रिंग इत्यादि से फिलिंग स्टेशन की न्यूनतम दूरी 50.0 मी0 सुनिश्चित की जायेगी। इसमें Flood plain का संज्ञान लेते हुये Flood plain से न्यूनतम 50.0 मी0 दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) आवासीय क्षेत्र / भवन, स्कूल / कॉलेज, अस्पताल से न्यूनतम दूरी 50.0 मी0 सुनिश्चित की जायेगी। PESO द्वारा निर्धारित safety मानकों का अनुपालन होने पर उक्त दूरी 30.0 मी0 तक की जा सकेगी। इसी प्रकार विद्यमान फिलिंग स्टेशन के 50.0 मी0 अर्द्ध व्यास में आवासीय भवन, स्कूल / कॉलेज, अस्पताल (10 शय्याओं से अधिक) इत्यादि की अनुमन्यता नहीं होगी।

letter 21

C

(iii) High Tension Line के नीचे फिलिंग स्टेशन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन हेतु MORTH द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश अनुसार एवं तत्क्रम में सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति अनुसार फिलिंग स्टेशन की स्थापना मान्य होगी।

(3). INDIAN ROAD CONGRESS (IRC-12-2009) "Guidelines for areas location and layout of road side fuel stations and service station" में " Enforcement of right of way and building lines" अंतर्गत IRC-73 code के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा।

(शैलेश बगौली)
सचिव

अतः उपरोक्त शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :– प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से शासन द्वारा प्रख्यापित उपरोक्त "फिलिंग स्टेशन से सम्बंधित मानकों मे संशोधन सम्बंधी शासनादेश संख्या–1647/V-2/2020-21(LUC)/2003 T.C दिनांक–05.10.2020–21" को अंगीकृत किया गया।

मद संख्या–12.04

श्रीमती सीमा गोयल पत्नी श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा ग्राम सरवरखेड़ा, तहसील काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर के खसरा संख्या–598मि0, 608मि0 रकबा–4249.67 वर्गमी0 मे होटल भवन निर्माण के सम्बंध मे प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र पत्रावली संख्या–USN/NC/0120/21-22 की स्वीकृति के सम्बंध मे।

अवगत कराना है किश्रीमती सीमा गोयल पत्नी श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा ग्राम सरवरखेड़ा, तहसील काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर के खसरा संख्या–598मि0, 608मि0 रकबा–4249.67 वर्गमी0 मे होटल भवन निर्माण हेतु ऑनलाईन मानचित्र पत्रावली संख्या–USN/NC/0120/21-22 दिनांक–09.08.2021 मे प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बंध मे कार्यालय मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित कार्यालय पत्रांक–1322 दिनांक–12 अगस्त, 2021 (अनुलग्नक–03) द्वारा होटल भवन मानचित्र का तकनीकी परीक्षण करते हुए आख्या प्रेषित की गयी है। प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग काशीपुर महायोजना–2011 के अनुसार ट्रक टर्मिनल ट्रान्सपोर्ट नगर के अन्तर्गत है। काशीपुर महायोजना–2011 के जोनिंग रेगूलेशन अन्तर्गत ट्रक टर्मिनल ट्रान्सपोर्ट नगर भू–उपयोग अन्तर्गत होटल भवन का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है। प्रश्नगत स्थल 50.00 मी0 चौड़े राज्यमार्ग संख्या–53 पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल के पृष्ठ भाग मे स्थित मार्ग की चौड़ाई 50.00 मी0 है। महायोजना मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भू–खण्ड के अग्र एवं पृष्ठ भाग मे 50.00 मी0 चौड़ा महायोजना मार्ग प्रदर्शित है। भू–खण्ड का कुल क्षेत्रफल 4249.67 वर्गमी0 है। मार्गाधिकार की दूरी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़ने के उपरान्त नेट भूखण्ड क्षेत्रफल–3088.05 वर्गमी0 है। तकनीकी परीक्षण के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव मे सैटबैक, भू–आच्छादन, एफ0ए0आर0, पार्किंग नियमानुसार प्रस्तावित किये गये हैं। प्रश्नगत स्थल के आस–पास व्यवसायिक/आवासीय गतिविधि पूर्व से ही विद्यमान है। चूंकि प्रश्नगत स्थल के महायोजना मे निर्धारित भू–उपयोग ट्रक टर्मिनल ट्रान्सपोर्ट नगर मे होटल का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त अनुमन्य है।

C.

अतः प्रस्तावित होटल भवन निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :– प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श किया गया। सर्वम्मति से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनपात्ति प्राप्त होने की दशा मे सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी तथा अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष भूमि की गणना कर तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बंध मे कार्यवाही की जा सकती है।

मद संख्या–12.05

प्राधिकरण मे तकनीकी स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जनपद–ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति, अवैध निर्माणों की रोकथाम तथा दैनिक कार्यों के सम्पादन व सूचना का अधिकार, न्यायालय, शासन आदि के कार्यों के साथ–साथ प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना विकास सम्बंधी कार्य भी किये जा रहे हैं। वर्तमान मे नियमित रूप से एक अधिशासी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता तथा एक अवर अभियन्ता कार्यरत हैं, जिसमे से एक सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण हो चुका है, के अतिरिक्त प्राधिकरण के तकनीकी अनुभाग मे कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है, जिससे निर्माण/विकास कार्यों के सफल संचालन मे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। प्राधिकरण द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओ के अतिरिक्त अन्य वृहद परियोजनाएँ भी सम्पादित किये जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

01–किच्छा एवं खटीमा मे नवीन बस अड्डे का निर्माण।
02–खटीमा मे बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण।
03–रूद्रपुर मे ट्रान्सपोर्ट नगर परियोजना का निर्माण ।
04–रूद्रपुर मे 1872 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण।

उक्त कार्यों के सफल संचालन हेतु मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की भांति प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट(पी0एम0यू0) का उक्त परियोजनाओं मे आरोपित 3 प्रतिशत Contengency मद से गठित किया जाना उचित है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर मे भी पी0एम0यू0 सेल के गठन हेतु निविदा आमंत्रित करते हुएप्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट(पी0एम0यू0) का गठन किया जायेगा, जिससे कि प्राधिकरण की वर्तमान योजनाओं को समय से पूर्ण कराने के साथ–साथ कार्य की गुणवत्ता मे सुधार भी किया जा सकता है। निविदा के उपरान्त गठित पी0एम0यू0 सेल से सम्बंधित परियोजना के अतिरिक्त भी अन्य आवश्यक कार्यालय एवं परियोजना सम्बंधी कार्य लिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार पी0एम0यू0 का गठन किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :–प्रस्तुतं प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारानिम्नवत् पद एवं अर्हताओं के अनुरूप प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट(पी0एम0यू0) के गठन हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति के साथ–साथ वेतन निर्धारण हेतु मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर एवं सहायक श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर की समिति गठित कर कार्यवाही किये जाने पर सहमति दी गयी।

कम सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	अर्हताएँ
01	प्रोजैक्ट मैनेजर	01	बी0ई0 सिविल एवं एम0बी0ए0
02	साईट इंजीनियर/सहायक अभियन्ता	01	बी0ई0 सिविल
03	साईट इंजीनियर/अवर	02	डिप्लोमा इन सिविल

C.

	अभियन्ता		
04	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	स्नातक एवं टंकण (हिन्दी व अंग्रेजी मे आवश्यक गति)
05	सहायक लेखाकार	01	बी0कॉम0 (हिन्दी व अंग्रेजी मे आवश्यक गति)
06	मल्टीपरपज़ स्टॉफ	02	इन्टरमीडिएट/हाईस्कूल

मद संख्या–12.06

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–390/2018 के अनुपालन मे प्राधिकरण द्वारा नानकमत्ता गुरूद्वारा प्रबन्ध समिति को पार्किंग की सुरक्षा एवं देख–रेख तथा अग्रिम आदेशों तक पार्किंग हेतु दिये जाने के सम्बंध मे।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–390/2018 के अनुपालन मे प्राधिकरण द्वारा डेरा कारसेवा गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब, नानकमत्ता मे रू0 94,81,455.00/–(चौरान्वे लाख इक्यासी हजार चार सौ पचपन रू0) की लागत से पार्किंग का निर्माण किया गया था, जो 29.12.2020 को पूर्ण किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा निर्मित पार्किंग से आय प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय द्वारा 02.06.2021 एवं 03.07.2021 को दैनिक समाचार पत्रों पर ठेके पर दिये जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी परन्तु कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार पार्किंग को ठेके मे लेने हेतु इच्छुक नहीं पाये जाने के कारण कोई भी निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण ठेके पर नहीं दिया जा सका है। पार्किंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त वर्तमान मे प्राधिकरण के पास अपर्युक्त अवस्था मे है तथा जिसकी देख–रेख हेतु कोई कर्मचारी भी तैनात नहीं है। नानकमत्ता गुरूद्वारा के अन्तर्गत पूर्व से ही निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण अलाभ की स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति/फर्म द्वारा ठेके पर लिया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

अतः वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत निर्मित पार्किंग की सुरक्षा एवं देख–रेख हेतु अग्रिम आदेशों तक पार्किंग स्थल को पार्किंग हेतु गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब के प्रबन्धन की सहमति पर नानकमत्ता गुरूद्वारा प्रबन्ध समिति या डेरा कारसेवा को निःशुल्क उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनरार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :– प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श किया गया। सर्वसम्मिति से बोर्ड द्वारा गुरूद्वारा प्रबन्ध समिति को निःशुल्क अग्रिम आदेश तक देख–रेख एवं पार्किंग हेतु उपलब्ध कराये जाने की सहमति दी गयी।

मद संख्या–12.07

श्रीमती शायदा बी पत्नी श्री सलीम अन्सारी द्वारा ग्राम शिमला बहादुर तहसील रूद्रपर जिला उधमसिंह नगर के खाता संख्या–0172, खसरा संख्या–131मि0 रकबा–707.12 वर्गमी0 में एच0पी0सी0एल0 का रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र संख्या-USN/NC/0077/2020-21कीस्वीकृति के सम्बंध मे।

अवगत कराना है कि श्रीमती शायदा बी पत्नी श्री सलीम अन्सारी द्वारा ग्राम शिमला बहादुर तहसील रूद्रपर जिला ऊधमसिंह नगर के खाता संख्या–0172, खसरा संख्या–131मि0 रकबा–707.12 वर्गमी0 में एच0पी0सी0एल0 का रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र संख्या–USN/NC/0077/2020-21दिनांक–17.12.2020 को प्रस्तुत किया गया है। मानचित्र का परीक्षण करते हुए प्राधिकरण के तकनीकी अनुभाग द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग रूद्रपुर महायोजना–2031 के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत पैट्रोल पम्प का निर्माण भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। उक्त भू–उपयोग में पैट्रोल/डीज़ल फिलिंग स्टेशन का निर्माण इस शर्त के साथ कि वह 30.00 मी0 चौड़े मार्ग पर स्थित हो, नियन्त्रक प्राधिकरी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य है। पूर्व मे आवेदक द्वारा प्रश्नगत स्थल की स्थिति को महायोजना मे प्रदर्शित निश्चित बिन्दु से 1200.00 मी0 दूरी पर तथा 24.00 मी0 चौड़े प्रस्तावित महायोजना मार्ग पर दर्शाया गया था। प्रचलित भवन

उपविधि के अनुसार नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत फिलिंग स्टेशन हेतु न्यूनतम 18.00 मी0 चौड़ा मार्ग होना आवश्यक है। स्थल पर मार्ग की चौड़ाई 24.00 मी0 प्रदर्शित की गयी थी। प्रश्नगत भूखण्डमार्ग के मध्य से 12.50 मी0 छोड़ते हुए प्रस्तावित किया गया था।

महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन मे आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत मार्ग की चौड़ाई एवं महायोजना मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई एवं भवन उपविधि के अनुसार प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन हेतु आवश्यक मार्ग की चौड़ाई के सम्बंध में स्थिति भिन्न होने पर प्रस्तुत प्रस्ताव कोविद्यमान मार्ग की चौड़ाई पर स्वीकृति किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की नवीं बोर्ड के मद संख्या–9.06 मे विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए यथाविधि प्रकरण उडा के माध्यम से शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश दिये गये। बोर्ड के निर्णय के कम में इस कार्यालय के पत्रांक–377, दिनांक–08.03.2021 द्वारा मुख्य प्रशासक,उडा देहरादून को उचित मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसके कम उडा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–129,दिनांक–29.05.2021 द्वारा मुख्य एवं ग्राम नियोजक के अभिमत सहित शासनादेश संख्या–468 दिनांक–12.07.2019अथवा शासनादेश संख्या 467 दिनाक–27.08.2019 में वर्णित प्रारूप पर प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निदेर्शित किया गया ।

आवेदक द्वारा दिनांक–29.09.2021 को प्राधिकरण कार्यालय में पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया है कि स्थल पर वर्तमान में मार्ग की चौडाई एक तरफ 24 मी0 व उसके दूसरी तरफ 21 मी0 है। दोनों सड़को से हमारी स्थल की दूरी 45 मी0 है। जोकि त्रुटि वश 24 मी0 दर्शा दी गयी है। उक्त सड़क सिडकुल अन्तर्गत आती है। जिसके कम मे इस कार्यालय के पत्रांक–716 दिनांक–05.10.2021 में क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल कार्यालय रूद्रपुर को इस आशय की जानकारी दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया कि क्या उक्त सड़क सिडकुल द्वारा 45 मी0 निर्मित किया गया या नही? स्वामित्व किसका है? उक्त खसरा नम्बर 131 मि0 रकबा 707.12 वर्ग मी0 प्रस्तावित भूमि के सामने 45 मी0 सड़क है या नही? सिडकुल द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–491 दिनांक–16.10.2021द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक आस्थान सिडकुल कार्यालय पन्तनगर में उपलब्ध रिकार्ड/मानचित्र में 45 मी0 का (Row)दर्शाया गया है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भू खण्ड की स्थिति एवं स्थल पर विद्यमान दोनो ओर की मार्ग चौड़ाई को प्रदर्शित करते हुये मानचित्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रश्नगत स्थल की दूरी महायोजना मे प्रदर्शित निश्चित बिन्दु से 1710.00 मी0 अंकित की गयी है। प्राधिकरण के तकनीकी अनुभाग द्वारा मानचित्र मे प्रदर्शित दूरी के आधार पर पुनः स्थल का परीक्षण किया गया। तकनीकी अनुभाग की आख्यानुसार प्रश्नगत स्थल महायोजना मानचित्र के अनुसार 45.00 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग पर आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। सिडकुल कार्यालय की आख्यानुसार प्रश्नगत स्थल के सम्मुख 45.00 मी0 का आर0ओ0डब्लू0 है। वर्तमान मे स्थल पर विद्यमान मार्ग के मध्य मे निर्मित सेन्ट्रल वर्ज पर सिडकुल द्वारा चाहरदीवारी का निर्माण करते हुए विद्यमान मार्ग को दो भागों मे विभक्त किया हुआ है, जिसमे एक ओर आमजन हेतु तथा दूसरी ओर सिडकुल के वाहनों हेतु मार्ग निर्मित है। महायोजना की परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत पैट्रोल पम्प का निर्माण इस शर्त के साथ कि वह 30.00 मी0 चौड़े मार्ग पर स्थित हो, नियन्त्रक प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य है। चूंकि महायोजना के अनुसार प्रश्नगत स्थल के सम्मुख 45.00 मी0 चौड़ा मार्ग है, जो 30.00 मी0 से अधिक है। महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत पैट्रोल/डीज़ल फिलिंग स्टेशन का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से अनुमन्य किया जा सकता है।

अतः आवासीय भू–उपयोग मे महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार पैट्रोल/डीज़ल फिलिंग स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :– प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल पर निर्मित सड़क की चौड़ाई एवं स्वामित्व के सम्बंध मे उपजिलाधिकारी, रूद्रपुर, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर, ए0आर0एम0 सिडकुल एवं अधिशासी अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर की समिति गठित करते हुए रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त आगामी बोर्ड बैठक मेप्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

G.

मद संख्या–12.08

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ग्राम–मानपुर, तह0 काशीपुर (ई0डब्लू0एस0) आवासीय परियोजना (उत्तराखण्ड आवास एवं विकास योजना) के निर्माण हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बंध में।

कृपया अवगत कराना है कि मै0 श्री हरि इन्फ्राज़ोन प्रा0लि0 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ग्राम मानपुर–काशीपुर (ई0डब्लू0एस0) आवासीय परियोजना के निर्माण हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के लिये आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क एवं उक्त प्रस्ताव से सम्बंधित अभिलेखों की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किए जाने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 09.10.2020 को प्रस्तुत किया गया है।

अवगत कराना है कि प्रस्तुत परियोजना ग्राम मानुपर तह0 काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के खाता संख्या–00142 के खसरा संख्या–280 एवं 281 जिनका कुल रकबा–1.214 हैक्टेयर में Affordable Housingप्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 512 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु है। प्रस्तुत उद्धरण खतौनी के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री पवित्र सिंह एवं श्रीमती राजेन्द्र कौर पत्नी श्री पवित्र सिहं के नाम दर्ज अभिलेख है तथा मै0 श्री हरि इन्फाज़ोन प्रा0लि0 एवं भू–स्वामियों के मध्य प्रश्नगत परियोजना को विकसित किये जाने के सम्बंध में हुए अनुबन्ध की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

स्थल श्री हरि इन्क्लेव के नाम से अविकसित कालौनी के पीछे की ओर मानपुर रोड पर स्थित है तथा मानपुर रोड से प्रस्तावित स्थल हेतु इस अविकसित कालौनी के मुख्य सड़क से पहुॅच मार्ग विद्यमान है। प्रस्तुत तलपट मानचित्र की छायाप्रति के साईटप्लान में स्थल हेतु 9.00 मी0 चौड़ी पहुॅच मार्ग श्री हरि इन्क्लेव की मुख्य सड़क को ही दिखाया गया है जबकि स्थल पर मार्ग की चौड़ाई लगभग 7.30मी0 (24 फिट) परिलक्षित होने के फलस्वरूप तथा प्रस्तुत प्रस्ताव मे कतिपय आपत्तियों के निराकरण हेतु आवेदक को क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर के पत्रांक–84 दिनांक–30.12.2020द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। सूचित आपत्तियों का निराकरण न किए जाने एवं परियोजना हेतु अपेक्षित 9.00 मी0 चौड़ा पहुॅच मार्ग उपलब्ध न होने के कारण परियोजना के भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव को दिनांक–07.04.2021 को निरस्त कर दिया गया, जिसकी सूचना आवेदक एवं शासन को कार्यालय पत्रांक–441 दिनांक–08.04.2021 द्वारा प्रेषित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत अपर मुख्य प्रशासक द्वारा दिनांक–22.06.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक मे निर्देशित किया गया कि मार्ग की चौड़ाई मे शिथिलता का प्रस्ताव नियमानुसार शासन को प्रेषित किया जाए।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर ग्यारवीं बोर्ड बैठक मे समयक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि शासनादेश अनुसार मार्ग की चौड़ाई के मानक मे शिथिलता का प्रस्ताव मुख्य एवं ग्राम नियोजक के अभिमत/संस्तुति प्राप्त करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके कम मे वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्या–1570/नग्रानी/जि0वि0प्रा0/2021 दिनांक–21.09. 2021(अनुलग्नक–04)के द्वारा निम्न प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है :–

"अवगत कराना है कि श्री हरि इन्फाजोन प्रा0 लि0 द्वारा खाता संख्या–00142 के खसरा संख्या–280 एवं 281 कुल क्षेत्रफल–1.214 है0 ग्राम मानपुर, तह0 काशीपुर, जिला– ऊधमसिंह नगर मे Affordable Housing प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 512 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी है। उक्त ई0डब्लू0एस0 आवासीय परियोजना के निर्माण हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु दिनाकं–09.10.2020 को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण मे अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत अनुरोध पत्र के साथ संलग्न उद्धरण खतौनी के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति श्री तरसेमसिंह पुत्र श्री पवित्र सिंह एवं श्रीमती राजेन्द्र कौर पत्नी श्री पवित्र सिंह के नाम दर्ज है तथा मै0 श्री हरि इन्फ्राजोन प्रा0लि0 एवं भू–स्वामियों के मध्य प्रश्नगत परियोजना को विकसित किये जाने के सम्बंध मे हुए अनुबन्ध मात्र नोटरी द्वारा प्रमाणित है, की प्रति

प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावित परियोजना स्थल श्री हरि इन्क्लेव के नाम से अविकसित कालौनी के नाम से पीछे मानपुर रोड पर स्थित है। मानपुर रोड से प्रस्तावित परियोजना स्थल को अविकसित कालौनी के मुख्य मार्ग द्वारा पहुँच मार्ग उपलब्ध है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र साईट प्लान मे श्री हरि इन्कलेव 9.0 मी0 चौड़े मुख्य मार्ग को ही स्थल का पहुँच मार्ग दर्शाया गया है। जबकि उक्त स्थल पर विद्यमान पहुँच मार्ग की चौड़ाई लगभग 7.30 मी0 (24 फीट) स्थित होने के फलस्वरूप प्रस्ताव मे कतिपय आपत्तियों के निराकरण हेतु आवेदक को क्षेत्रीय जिला स्तरीय विकास प्राधिरकण, ऊधमसिंह नगर, काशीपुर के कार्यालय पत्रांक–84 दिनांक–30.12.2020 प्रेषित किया गया, सूचित आपत्तियों का निराकरण न किये जाने एवं परियोजना हेतु अपेक्षित 9.0 मी0 चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध न होने के कारण परियोजना के भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव को दिनांक–07.04.2021 को निरस्त किया गया। उक्त की सूचना जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के कार्यालय पत्रांक–441 दिनांक–08.04.2021 द्वारा आवेदक एवं शासन को भी प्रेषित की गयी।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्रांक–584 दिनांक–23.08.2021 द्वारा परियोजना की महत्त को दृष्टित रखते हुए उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–02 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1311 दिनांक–26.07.2021 के अनुसार शिथिलता एवं भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को निर्देशित किया गया है तथा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार शासनादेशानुसार मार्ग की चौड़ाई के मानक मे शिथिलता के प्रस्ताव पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अभिमत/संस्तुति उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त के कम मे अवगत कराना है कि प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवासीय (ई0डब्लू0एस0) परियोजना स्थल के पहुँच मार्ग की चौड़ाई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) एवं उत्तराखण्ड आवास नीति के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार 9.0 मी0 होना आवश्यक है। जबकि प्रस्तावित परियोजना स्थल के विद्यमान पहुँच मार्ग की चौड़ाई लगभग 7.30 मी0 है। चूंकि प्रस्तावित परियोजना स्थल का पहुँच मार्ग मानपुर रोड से अविकसित श्री हरि इन्कलेव के मुख्य मार्ग ही प्रश्नगत स्थल का पहुँच मार्ग है। अतः उक्त श्री हरि इन्कलेव की कुल आबादी तथा 512 (ई0डब्लू0एस0) ईकाइयों मे आने वाली जनसंख्या से उक्त मार्ग पर अत्याधिक भार के दृष्टिगत तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) मे प्रधानमंत्री आवासीय (ई0डब्लू0एस0) परियोजना स्थल हेतु निर्धारित न्यूनतम 9.0 मी0 चौड़े पहुँच मार्ग के मानकों के दृष्टिगत उक्त परियोजना के पहुँच मार्ग मे शिथिलता प्रदान किया जाना उचित नहीं है।”

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–02 के शासनादेश संख्या–1311/V-2/21-10/(आ0)/2020 दिनांक–26.07.2021 (अनुलग्नक–**05**)के द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के मानकों मे शिथिलीकरण, भू–उपयोग परिवर्तन के अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं संशोधित भू–उपविभाजन शुल्क लागू किये जाने से सम्बंधित विषयक के बिन्दु संख्या–02 मे स्पष्ट किया गया है कि ***“भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2016 के मानकों मे शिथिलीकरण की अधिकारिता निर्धारित की गयी है, जिसमे 25 प्रतिशत तक शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार सम्बंधित स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड मे निहित होगा।”***

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के आवास अनुभाग 02 के ***“शासनादेश संख्या–224/V-2/2021/66(आ0)/2017 दिनांक–01.02.2021***(अनुलग्नक–**06**)***के बिन्दु संख्या–09 मे डी0पी0आर0 पर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् सम्बंधित विकास प्राधिकरण/स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर योजना एवं विकास (प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत) चयनित परियोजनाओं मे भू–उपयोग का परिवर्तन नियमावली–2020 के तहत यथा–प्रकिया भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त भू–उपयोग परितर्वन शुल्क तथा भू–उच्चीकरण शुल्क देय नहीं होगा।”***

चूंकि प्रश्नगत स्थल तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई मानकों के अनुसार न्यूनतम 9.00 मी0 होना आवश्यक है जबकि परियोजना स्थल के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 7.30 मी0 है। अतः प्रश्नगत परियोजना हेतु मानकों के अनुसार

G.

मार्ग की चौड़ाई मे शिथिलता हेतु किफायती आवास योजना की महत्ता के दृष्टिगत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :— प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार—विमर्श किया गया।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ग्राम—मानपुर, तह0 काशीपुर (ई0डब्लू0एस0) आवासीय परियोजना (उत्तराखण्ड आवास एवं विकास योजना) के निर्माण हेतु मार्ग की चौड़ाई के सम्बंध मे शासनादेश के परिपेक्ष्य में वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.9.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना स्थल का पहुंच मार्ग मानपुर रोड से अविकसित श्री हरि इन्कलेव के मुख्य मार्ग से ही प्रश्नगत स्थल तक पहुंच मार्ग है। अतः उक्त श्री हरि इन्कलेव की कुल आबादी तथा 512 (ई0डब्लू0एस0) ईकाइयों में आने वाली जनसंख्या से उक्त मार्ग पर अत्यधिक भार के दृष्टिगत तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम—2011 (संशोधन—2015) में प्रधानमंत्री आवासीय (ई0डब्लू0एस0) परियोजना स्थल हेतु निर्धारित न्यूनतम 9.0 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग के मानकों के दृष्टिगत उक्त परियोजना के पहुंच मार्ग में शिथिलता प्रदान किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में बोर्ड द्वारा मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

मद संख्या—12.09

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एफ0सी0 आई0 गोदाम के सामने, रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर में 1872 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण के सम्बंध में।

रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एफ0सी0आई0 गोदाम के सामने 1872 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण उडा देहरादून द्वारा किये जाने की प्रकिया गतिमान थी। उक्त परियोजना को वर्तमान में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या—709/उडा—183/2017—18 दिनांक 30.10.2019 के माध्यम से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अन्तरित की गयी है जो कि इस कार्यालय में दिनांक 22.11.2019 को प्राप्त है। प्रश्नगत परियोजना में ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था M/sWAPCOS Ltd.द्वारा Monolithic Construction तकनीक से परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार की गयी थी।

संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा के पत्र संख्या—709/उडा—183/2017—19,दिनांक—30.10.2019 के द्वारा उडा की 12वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.08.2019 के कार्यवृत के विषय कमांक 3 के द्वारा लिये गये निर्णय से इस कार्यालय को अवगत कराते हुये *" बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्राप्त प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाए। प्रश्नगत कार्य जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,ऊधमसिंह नगर के कार्यक्षेत्र रूद्रपुर में स्थित होने के फलस्वरूप प्रभावी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए योजना के कियान्वयन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही किये जाने हेतु योजना जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधमसिह नगर को स्थानान्तरित कर दी जाए। तत्काल प्रकिया पूर्ण कर उडा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।"* उक्त के अनुपालन में रूद्रपुर आवासीय योजना से संम्बधित पत्रावली इस कार्यालय को प्राप्त हुई। उक्त परियोजना हेतु उत्तराखण्ड आवास एव नगर विकास प्राधिकरण, द्वारा अनुबंधित फर्म मै0 वाप्कॉश लिमिटेड के साथ अनुबंध अवधि 03.11.2021 तक विस्तारित किये जाने के संबंध में पत्रांक संख्या—2169/उडा—173/20, दिनांक—25.02.2021 के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत कराया गया । तत्क्रम में कार्यदायी संस्था के संसोधित ले—आउट प्लान का प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण के 11वी बोर्ड के सम्मुख किया गया जिस पर बोर्ड द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 1872 ई0डब्लू0एस0 आवासों के निर्माण की भूमि ग्राम रूद्रपुर स्थित खसरा नम्बर—19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29मि0, 31मि0, 32मि0, 33मि0, 49मि0, 50मि0, 51मि0, 52मि, 53मि0, 58, 59 व 60मि0 रकबा—79869.00 वर्गमी0 को उडा के नाम पर हस्तान्तरित किया गया है। डी0पी0आर0 के अनुसार स्थल पर 76162.00 वर्गमी0 भूमि निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध है। उपलब्ध भूमि मे 45966.00 वर्गमी0 भूमि मे 1872 ई0डब्लू0एस0 आवासों का निर्माण किया जाना है तथा अवशेष 30196.00 वर्गमी0 भूमि पर व्यवसायिक/प्राधिकरण कार्यालय एवं मार्गाधिकार सहित, का निर्माण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा किया जाना है, जिससे कि ई0डब्लू0एस0 आवासों के निर्माण लागत मे होने वाले प्राधिकरण के व्यय—भार को समायोजित किया जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उडा को हस्तान्तरित भूमि का वर्तमान मे महायोजना के अन्तर्गत भू—उपयोग **"बस अड्डा"**दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री जन—आवास योजना के अन्तर्गत 45966.00 वर्गमी0 भूमि पर

G.

1872 ई0डब्लू0एस0 आवास एवं अवशेष 30196.00 वर्गमी0 भूमि पर साथ–साथ व्यवसायिक/प्राधिकरण कार्यालय एवं मार्गाधिकार सहित, का निर्माण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा किया जाना है। उक्त भूमि का महायोजना मे भू–उपयोग बस अड्डा होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 आवासों के निर्माण मे कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उडा के नाम दर्ज उक्त 79869.00 वर्गमी0 भूमि के प्रचलित महायोजना मे निर्दिष्ट भू–उपयोग**"बस अड्डा"**से आवासीय एवं व्यवसायिक/कार्यालय उपयोग मे परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। इस कार्यालय के पत्र संख्या–804 दिनांक–09.11.2021के द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड को भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बंध मे उनके अभिमत से प्राधिकरण को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी जिसके कम मे उनके द्वारा निम्न रिपोर्ट प्रेषित की गयी :–

"अवगत कराना है कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्रांक–185/नग्रानी/भू–उपयोग परिवर्तन/2017 दिनांक–23 जनवरी, 2017*(अनुलग्नक–07)*एवं पुनः पत्रांक–2479/नग्रानी/भू–उपयोग परिवर्तन/2017 दिनाक–18 दिसम्बर, 2017*(अनुलग्नक–08)* द्वारा प्रस्तावित स्थल को उडा की परियोजनानुसार केवल आवासीय एवं व्यवसायिक भू–उपयोग अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाना अधिक प्रासंगिक होने सम्बंधी आख्या शासन को पूर्व मे प्रेषित की जा चुकी है। तत्कम मे सहयुक्त नियोजक के कार्यालय पत्रांक–888/भू–उपयोग परिवर्तन/उधमसिंह नगर/2018 दिनांक–29 जुलाई, 2018*(अनुलग्नक–09)* द्वारा उक्त आख्या अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित होने सम्बंधी अभिमत भी प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है।"

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्रांक–185/नग्रानी/भू–उपयोग परिवर्तन/2017 दिनांक–23 जनवरी, 2017 मे निम्नवत् उल्लेख किया गया है *:–शासन के पत्र संख्या–08/V-2/01(एल0यू0सी0)17/2017 दिनांक–03.01.2017 जिसमे मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के पत्रांक–583 दिनांक–28.12.2016 के कम मे प्रकरण पर भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बंधित विभागीय अभिमत की अपेक्षा की गयी है। मुख्य प्रशासक के उक्त सन्दर्भित पत्र मे वर्णित अनुसार किच्छा बाईपास मार्ग पर बाईपास मार्ग पर एफ0सी0आई0 गोदाम के निकट जन आवास योजना हेतु 7. 9869 है0 भूमि, जो रूद्रपुर महायोजना मे बस अड्डा हेतु प्रस्तावित है, को बस अड्डे के साथ–साथ आवासीय एवं व्यवसायिक अन्तर्गत प्रस्तावित किये जाने हेतु भू–उपयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रश्नगत स्थल का सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी के साथ संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत स्थल **(साईट–ए)** किच्छा बाईपास मार्ग पर दीनदयाल चौराहे के निकट वर्तमान मे स्थित बस अड्डे **(साईट–बी)** के सन्निकट स्थित है। उक्त स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र मे बाहुल्य रूप से आवासीय एवं मिश्रित आवासीय स्वरूपीय विकास विद्यमान है। रूद्रपुर नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान मे कार्यरत बस अड्डे के सन्निकट उच्च स्तरीय परिवहन सम्बंधी कियाकलाप के प्रस्ताव के रूप मे एक अन्यत्र नवीन बस अड्डे का प्रस्ताव नियोजन की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रायः नवीन बस अड्डे का प्रस्ताव महायोजना मे प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य मे नगर के बाहय क्षेत्र, जहॉ समुचित मार्ग संरचना प्रस्तावों द्वारा सुचारू यातायात आवागमन सुनिश्चत किया जा सकता है, मे प्रस्तावित किया जाना अधिक युक्तिसंगत होगा। इस दृष्टि से किच्छा मार्ग से उत्तर की ओर सिडकुल होते हुए नैनीताल मार्ग को सम्बद्ध करने वाले 60 मी0 चौड़े बाईपास के मिलन बिन्दु पर प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल **(साईट–सी)**के स्थान पर प्रस्तावित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। उल्लेखनीय है कि सिडकुल औद्योगिक आस्थान अन्तर्गत सिडकुल द्वारा अपनी परियोजना मे पृथक से दिये गये ट्रक टर्मिनल के प्रस्ताव **(साईट–डी)** के दृष्टिगत किच्छा रोड पर प्रस्तावित एक अतिरिक्त ट्रक टर्मिनल के प्रस्ताव का औचित्य नहीं है। साथ ही बस अड्डा जैसी उच्च स्तरीय परिवहन गतिविधि को आवासीय गतिविधि के साथ Compatibility न होने के दृष्टिगत उडा की वॉछनानुसार प्रश्नगत स्थल अन्तर्गत आवासीय एवं व्यवसायिक परियोजना के विकास के साथ–साथ बस अड्डा का प्रस्ताव दिया जाना नियोजन की दृष्टिगत से उपयुक्त नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य मे विभाग का अभिमत है कि महायोजना मे सिडकुल औद्योगिक परिसर अन्तर्गत सिडकुल द्वारा प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल को यथावत रखते हुए किच्छा मार्ग पर ट्रक टर्मिनल हेतु प्रस्तावित स्थल को बस अड्डा हेतु प्रस्तावित किया जाना एवं किच्छा बाईपास मार्ग पर एफ0सी0आई0 गोदाम के निकट प्रस्तावित बस अड्डे को समाप्त करते हुए इस समूचे क्षेत्र को उडा की परियोजना अनुसार केवल आवासीय एवं व्यवसायिक भू–उपयोग अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाना अधिक प्रासंगिक होगा।*

सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी के कार्यालय पत्रांक–888/भू–उपयोग परिवर्तन/उधमसिंह नगर/2018 दिनांक–29 जुलाई, 2018 मे निम्नवत् उल्लेख किया गया है :–

उक्त प्रकरण के साथ संलग्न अवर अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार किच्छा बाईपास रोड पर एफ0सी0आई0 गोदाम के सामने उत्तराखण्ड जन आवास योजना हेतु उपलब्ध कराई गयी भूमि महायोजना–2011

मे बस अड्डा भू–उपयोग के अन्तर्गत है। उक्त स्थान शीघ्र ही विकसित एवं व्यवसायिक क्षेत्र मे परिवर्तित होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति मे बस अड्डे को किच्छा रोड पर प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल के स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। भारी वाहनों की अधिकता आवाजाही सिडकुल क्षेत्र से ही होती है। अतः उक्त क्षेत्र के एक ट्रक टर्मिनल को यथावत् रखा जाना उचित होगा। उक्त के सम्बंध मे अवगत कराना है कि पूर्व मे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के कार्यालय पत्रांक–185/नग्रानी/भू–उपयोग परिवर्तन/2017 दिनांक–23 जनवरी, 2017 मे को उप सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को अवगत कराया गया है। महायोजना मे सिडकुल औद्योगित परिसर के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल को यथावत् रखते हुए किच्छा मार्ग पर ट्रक टर्मिनल हेतु प्रस्तावित स्थल को बस अड्डा हेतु प्रस्तावित किया जाना एवं किच्छा बाईपास मार्ग पर एफ0सी0आई0 गोदाम के निकट प्रस्तावित बस अड्डे को समाप्त करते हुए इस समूचे क्षेत्र को उडा की परियोजना के अनुसार केवल आवासीय एवं व्यवसायिक भू–उपयोग अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाना प्रासंगिक होगा।

उत्तराखण्ड शासन के आवास अनुभाग 02 के **"शासनादेश संख्या–224/V-2/2021/66(आ0)/2017 दिनांक–01.02.2021 के बिन्दु संख्या–09 मे डी0पी0आर0 पर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् सम्बंधित विकास प्राधिकरण/स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर योजना एवं विकास (प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत)चयनित परियोजनाओं मे भू–उपयोग का परिवर्तन नियमावली–2020 के तहत यथा–प्रकिया भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त भू–उपयोग परितर्वन शुल्क तथा भू–उच्चीकरण शुल्क देय नहीं होगा।"**

चूंकि प्रश्नगत स्थल पर 1872 ई0डब्लू0एस0 आवासों तथा ई0डब्लू0एस0 आवासों पर अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु व्यवसायिक एवं कार्यालय का निर्माण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा किया जाना है। अतः भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन की अपेक्षा के अनुसार ई0डब्लू0एस0 आवासों के निर्माण हेतु 79869.00 वर्गमी0 भूमि जो महायोजना मे बस अड्डा दर्शाया गया है, का आवासीय एवं व्यवसायिक/कार्यालय मे भू–उपयोग परिवर्तन हेतु बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :– प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एफ0सी0 आई0 गोदाम के सामने, रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर में 1872 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि को महायोजना मे बस अड्डा दर्शाया गया है। प्रस्तावित परियोजना के डी0पी0आर0 के अनुसार कुल भूखण्ड क्षेत्रफल–76,162 वर्गमी0 जिसमे रोड विस्तार–6,920 वर्गमी0, ई0डब्लू0एस0 आवासों हेतु 45,966 वर्गमी0 तथा व्यवसायिक कॉम्पलैक्स निर्माण हेतु 23,276 वर्गमी0 प्रस्तावित है। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त भूमि मे से 45,966 वर्गमी0 भूमि का भू–उपयोग आवासीय मे परिवर्तित किया जाता है। शेष 23,276 वर्गमी0 भूमि जिसमे व्यवसायिक कॉम्पलैक्स एवं प्राधिकरण कार्यालय निर्माण किया जाना है, का भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव उडा को प्रेषित किया जाये।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अन्य बिन्दुओं के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01–तहसील किच्छा स्थित सीलिंग मे अतिरिक्त घोषित प्राग फार्म की भूमि मे से 500 एकड़ भूमि एवं खुरपिया फार्म की भूमि में से 200 एकड़ भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को आवासीय कालोनी का विकास किये जाने हेतु भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

02–जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा प्राग फार्म एवं खुरपिया फार्म में अतिरिक्त घोषित सम्पूर्ण भूमि का डिजिटल सर्वे कराया जाये कि किन–किन विभागों को कितनी भूमि राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गयी है तथा मौके पर खाली भूमि की क्या स्थिति है, उपरोक्त सर्वे सम्बंधित तहसील के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से तैयार कर प्रस्तुत करें। डिजि़टल सर्वे एवं फिज़िबिलिटी रिपोर्ट तैयार किये जाने का व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।

03–खुरपिया फार्म तह0 किच्छा मे लगभग 80 एकड़ भूमि विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सरकारी आवासों, महाविद्यालय, बस अड्डा आदि प्रस्तावित है। राजकीय महाविद्यालय व हाईटैक बस अड्डा जो वर्तमान मे निर्माणाधीन है, को छोड़कर उक्त स्थल पर विभिन्न सरकारी कार्यालय (उपजिलाधिकारी कार्यालय, तहसील परिसर, पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं सरकारी आवासीय परिसर आदि) प्रस्तावित हैं, के सम्बंध मे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त सरकारी कार्यालयों व

आवासों का विवरण राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्राप्त कर लें। उक्त स्थल पर निर्मित किये जाने वाले समस्त निर्माणों को एकीकृत रूप मे एक स्थान पर प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये जाने के साथ अवशेष भूमि पर व्यवसायिक/आवासीय परियोजना विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ताकि एक ओर जहाँ उक्त भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा वहीं एकीकृत कार्यालय के रूप मे जन–सामान्य को भी बेहतर सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
ऊधमसिंह नगर

आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल/
अध्यक्ष जि०स्त०वि०प्रा०,
ऊधमसिंह नगर